<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 04.09.2020

थाना देवा पुलिस ने एक शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 30 ग्राम अवैध मारफीन बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जनपद में अभियान चलाकर गिरफ्तारी/बरामदगी करने का निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिया गया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में तस्करों/शातिर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 04.09.2020 को थानाध्यक्ष देवा श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अल्ताफ पुत्र स्व0 नौशाद निवासी चचेड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी को समय करीब 13.05 बजे झूलनिया चौराहा गोरखपुरी बंगला ग्राम धौरमऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 30 ग्राम मारफीन बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु0अ0सं0 350/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

अल्ताफ पुत्र स्व0 नौशाद निवासी चचेड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय-</u>

दिनांक 04.09.2020 को समय करीब 13.05 बजे झूलनिया चौराहा गोरखपुरी बंगला ग्राम धौरमऊ थाना देवा जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगीः-</u>

30 ग्राम अवैध मारफीन।

<u>पुलिस टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष देवा श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 धर्मेन्द्रनाथ मिश्रा थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 तेज बहादुर सिंह, हे0का0 सतीश कुमार सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. हे0का0 रामपलट थाना देवा जनपद बाराबंकी।
5. का0 अमरजीत थाना देवा जनपद बाराबंकी।